Form III {Refer Sub-Para (5) of Para 3 of Scheme III}



भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE SERVICE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

S

Q



अनुज्ञप्ति सं / Licence No./NR/SQMS/ L - 9000035.2

ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर निम्नलिखित को पुन: प्रमाणित करता है:

By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby recertified to:-

में. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ यू पी- 226001

M/s U P Housing & Development Board, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow U P- 226001

को (जिन्हें इसके बाद अनुजिप्तिधारी कहा गया है) इस अनुंसूची में वर्णित विशेष तौर पर उत्पाद एवं/ या सेवाओं की प्रक्रियाओं के संबंध में ब्यूरो के सेवा गुणता प्रबंध पद्धित प्रमाणन के अनुजिप्तिधारकों की ब्यूरो की सूची इस अनुजिप्त के अनुसार इसी संख्याधारक को अधिकार एवं अनुजिप्त सूचीबद्ध किया जाए 11S 15700: 2005 के अनुसार सेवा गुणता प्रबंध प्रणाली के अधीन जनत दिए गए पते (पतों) पर केवल अनुजिप्तिधारक द्वारा ऐसे उत्पाद एवं/ या सेवाओं की प्रक्रियाओं को निर्मित किया/ उपलब्ध कराया/ चलाया जायेगा।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's List (s) of Licensees of Service Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services of process particularly described in the schedule here to, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address(es) given above, and under the Service Quality Management Systems in accordance with (IS 15700: 2005)

अन्,जिन्त उक्त अधिनियम एवं इसके अधीन <mark>बनाए गए</mark> नियमों तथा विनियमों के संबद्ध उपबंधों की शर्त पर **प्**न: प्रमाणित किया गया है तथा <mark>उक्त संदर्भित</mark> अन्जिप्तियों को इसके तहत शामिल किया जाता है, तथा अन्जिप्तिधारक उक्त नियमों एवं विनियमों का पालन किए जाने के लिए ब्यूरों के प्रति प्रतिजाबद्ध है

The licence is recertified subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made there under governing the licensees referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the Bureau duly to observed with said Rules and Regulations.

यह अन्त्रप्ति तारीख 28/01/2020 से तारीख 27/05/2021 तक विधिमान्य रहेगा तथा विनियमों में यथा निहित पुन प्रमाणन दिया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 28/01/2020 to 27/05/2021 and may be recertified as prescribed in Regulations.

तारीख **फरवरी 2020 के तीसरे** दिन को हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित तथा दिनांकित किया गया। Signed, Sealed and Dated this **3rd** day of **February 2020**.

Note:-Certificate is granted for a maximum period of 3 years subject to the condition that all actions & verifications of transition to the new version of standard for SQMS i.e. IS 15700:2018 are completed before 27 May 2021. If this condition is met, the validity period will be allowed up to 27 May 2022 and a new certificate will be issued for the balance period.

(Anilesh M. David)
जप महानिदेशक (उत्तर)
कृते भारतीय मानक ब्यूरो
Deputy Director General (North)
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

